कार्यालय कलेक्टर (जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी)
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

ई-मेल – degmtik@mp.gov.in | degmtikamgarh@gmail.com

क्रमांक 82 /जि.ई.ग.सो./2017 टीकमगढ़, दिनांक 24.:.04.2017

प्रति,

....,

....

स्वान पॉप टीकमगढ़/बल्देवगढ़/जतारा/निवाड़ी/पलेरा/पृथ्वीपुर के DG Set के सुधार कार्य एवं रखरखाव हेतु दरें आमंत्रित की जाती हैं।

अत: आपके सीलबंद लिफाफे दिनांक 01-May-17 को दोपहर 02.00 बजे तक जिला ई-गवर्नेंस कार्यालय टीकमगढ़ में प्राप्त किये जावेंगे। उपरोक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली दरें मान्य नहीं की जावेंगी। प्राप्त दरें उसी दिन दोपहर 03.00 बजे वरिष्ठ लेखाधिकारी, जिला पंचायत टीकमगढ़, जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर टीकमगढ़ एवं सहायक ई-गवर्नेंस मैनेजर टीकमगढ़ द्वारा खोली जावेंगी।

निविदा की शर्तें

अनिवार्य शर्तें :-

1. विक्रेता/फर्म को निम्न दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है :-
   1. विक्रयकर विभाग का रजिस्ट्रेशन नंबर।
   2. आयकर विभाग का पंजीयन प्रमाणपत्र।
   3. सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन।
   4. दुकान स्थापना का पंजीयन प्रमाणपत्र।
   5. विगत तीन वर्षों का आयकर रिर्टन।
2. महिंद्रा कंपनी के अधिकृत डीलर को प्राथमिकता दी जावेगी।
3. यदि जिले के अंदर किसी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था/कार्यालय में जनरेटर सम्बन्धी कार्य किया हो तो उसका प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।

समान शर्तें पूरी करने वाले विक्रेता/फर्मों में से प्रथम प्राथमिकता महिंद्रा कंपनी के अधिकृत डीलर को दी जावेगी। द्वितीय प्राथमिकता जिले के अंदर किसी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था/कार्यालय में जनरेटर सम्बन्धी कार्य करने वाले विक्रेता/फर्म को दी जावेगी।

अन्य शर्तें :-

1. दरें स्वान पॉप कक्षों के निरीक्षण करने के उपरांत ही प्रस्तुत की जायें। एक बार दर प्रस्तुत करने के पश्चात दरों में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
2. प्रथम बार DG Set चालू करने की दर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
3. DG Set चालू करने के उपरांत अगले 03 माह तक कोई खराबी आने पर उसका नि:शुल्क सुधार करना होगा।
4. इसके अतिरिक्त अगले 01 वर्ष में करवाये जा सकने वाले कार्यों की दरें निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-

क्र.	विवरण	दर प्रति नग
1	2	3
1.	प्रथम बार DG Set चालू करना	

अगले एक वर्ष तक करवाये जा सकने वाले अन्य कार्यों की दरें		
1.	आवश्यकतानुसार DG Set का इंजन ऑयल बदलवाना।	
2.	आवश्यकतानुसार Coolent बदलवाना।	
3.	आवश्यकतानुसार बैटरी को चार्ज करवाना।	
4.	आवश्यकतानुसार बैटरी को बदलवाना।	
5.	DG Set की अर्थिंग को चेक करना आवश्यकता हो तो उसे ठीक करना।	
6.	Filter इत्यादिओं को बदलवाना।	
7.	केबल इत्यादि यदि खराब हो तो उसे बदलवाना।	
8.	सर्विस चार्ज	

5. दरें स्वीकृत होने पर रू. 10000/- (रू. दस हजार मात्र) प्रतिभूति की राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी टीकमगढ़ के पक्ष में जारी किया गया हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति जमा कराने पर ही कार्यादेश प्रदान किया जावेगा। प्रतिभूति राशि जमा न करने पर दरें अमान्य कर दी जायेंगी एवं अगली फर्म को प्रतिभूति राशि जमा कराने पर कार्य दिया जायेगा।
6. फर्म का चयन प्रथम बार DG Set चालू करने की दर के आधार पर किया जायेगा।
7. वेंडर को अपना हैल्पलाइन नंबर देना आवश्यक होगा, जिस पर शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर शिकायत का निराकरण करना होगा।
8. यदि शिकायत के निराकरण में 24 घंटे से अधिक समय लगने की संभावना हो तो उसकी सूचना शिकायत करने के 12 घंटे के अंदर प्रदान करना होगी।
9. यदि बिना किसी उचित कारण के 24 घंटे के अंदर शिकायत का निराकरण नहीं किया जाता है तो प्रति 12 घंटे रू. 500/- अर्थदण्ड वसूला जायेगा। साल के अंत में अमानत राशि में से अर्थदण्ड घटाकर अमानत राशि वापस की जायेगी।
10. जो भी पार्ट बदला जायेगा वह ओरिजनल होगा एवं हर पार्ट पर कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली गारंटी/वारंटी प्रदान करना होगी।
11. यदि कोई पार्ट गारंटी/वारंटी अवधि में खराब होता है तो उस पर होने वाले व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
12. दर स्वीकृति की दशा में प्रतिभूति की राशि वर्ष भर जमा रहेगी।
13. निर्धारित मापदण्ड के विपरीत अनुचित सामग्री प्रदान करने पर कलेक्टर को पूर्ण अधिकार होगा कि सम्बन्धित विक्रेताओं के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करें।

कलेक्टर
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

पृ.क्र. 82 /जि.ई.ग.सो./2017 टीकमगढ़, दिनांक 24.04.2017

प्रतिलिपि :-

1. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., जिला टीकमगढ़ की ओर भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति जिले की वेबसाइट www.tikamgarh.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कलेक्टर
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)